

- १ इस परिचय-पत्र पर पुस्तकालय से ...-पुस्तकें ली जा सकते हैं।
 - २ समय पर पुस्तक वापिस न करने पर प्रतिदिन के हिसाब से सामान्य पुस्तक एवं पाठ्यपुस्तक पर ५० पैसे तथा संदर्भ पुस्तकों पर १/- रु० अतिदेव दण्ड लिया जावेगा।
 - ३ पुस्तक क्षतिग्रस्त पाये जाने पर अंतिम ग्राहीना ही उसके लिये उत्तरदायी माना जायेगा इसलिए प्रत्येक ग्राहीना पुस्तक ले जाने से पूर्व उसके पृष्ठों की जाँच कर ले अन्यथा पुस्तक की राशि अर्थ दण्ड सहित पुस्तकालय के नियमानुसार बसूल की जावेगी।
- नोट - पुस्तकालय परिचय पत्र के साथ ही पुस्तकालय में प्रवेश दिया जावेगा।

- ४ परिचय पत्र अन्य छात्र अथवा व्यक्ति को न दिया जाए। (अहस्तांतरणीय) अन्यथा वह अपराध माना जावेगा।
- ५ परिचय पत्र खो जाने पर तुरन्त उसकी सूचना पुस्तकालय में दी जावे ताकि खाता बंद किया जा सके। सूचना न देने पर जिम्मेवारी स्वयं की रहेगी।
- ६ परिचय पत्र खो जाने अथवा कट-फट जाने पर बैंक में ४०- ६० का चाबान एवं पास-पोर्ट साइज का फोटो ग्राफ जमा कर डुप्लीकेट परिचय पत्र प्राप्त किया जा सकता है।